

# मानव अधिकार, आईसीटी और इंटरनेट

# पाठ्यक्रम के उद्देश्य

- मानव अधिकारों और आईसीटी पेशेवरों, और दूसरे जो इन मुद्दों में रूचि रखते हैं की मदद करने के लिए:
  - समझें कि किस प्रकार इंटरनेट ने अधिकारों के प्रयोग और उसकी सेवाओं के उपभोग से अधिकारों की रक्षा की है और भविष्य में इसके किस तरह के परिणाम हो सकते हैं
  - पता करें कि किस तरह ये उनके काम को प्रभावित करता है
  - इंटरनेट द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं का और अच्छी तरह प्रयोग करें और इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई है चुनौतियों का सामना करें.

# मॉड्यूल 1 - महत्वपूर्ण सवाल

- मानव अधिकारों पर इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? इंटरनेट के आने के बाद कौन से अधिकार मजबूत हो रहे हैं और इंटरनेट से किन अधिकारों को खतरा उत्पन्न हो रही है ?
- ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच कैसे अधिकारों के आनंद और प्रवर्तन में सामंजस्य बनाया जा सकता है?
- इंटरनेट अंतरराष्ट्रीय अधिकारों के शासन के भीतर अलग अलग अधिकारों के बीच के रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ा है?
- क्या अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मानव अधिकारों की रक्षा के रास्ते में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो आवश्यक हैं? क्या इंटरनेट ने अधिकारों के अतिक्रमण के नए पहलू उत्पन्न किए हैं?
- कैसे मानव अधिकार संगठन मानव अधिकारों की रक्षा में और अपने काम में सुधार करने को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं?

# अधिकार और मानव अधिकार

आत्मरक्षा के अधिकार  
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता  
मरने का अधिकार  
धूम्रपान करने के लिए अधिकार  
पशु अधिकार  
मानहानि से मुक्ति  
निवारण का अधिकार  
स्वधर्म त्याग का अधिकार  
झूठ का अधिकार  
समलैंगिक अधिकार  
अपराध से मुक्ति  
जानने का अधिकार  
काम का अधिकार  
गर्भपात के अधिकार  
मतदान का अधिकार  
भूख से मुक्ति  
विकास के लिए अधिकार  
एकान्तता का अधिकार

- हम विभिन्न क्षमताओं में अपने अधिकार प्रयोग करते हैं - उदहारण उपभोक्ताओं के रूप में या एक पुस्तकालय के सदस्यों के रूप में , या राष्ट्रीय कानून के तहत प्राप्त अधिकारों के रूप में
- मानव अधिकार मौलिक अधिकारों अंतरराष्ट्रीय समझौतों के भीतर स्थापित किये गए हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून की परिधि की एक में आते के हैं .

# अंतरराष्ट्रीय अधिकार व्यवस्था

- मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा
- नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा
- मानव अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय बिल
- आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा
- क्षेत्रीय अधिकार सम्मेलन
- सीईडीएडब्ल्यू, सीआरसी, और अन्य अधिकारों समझौते
- राष्ट्रीय क़ानून

स्रोत: डी सौतेर , पाठ्यक्रम सामग्री, लंदन अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के स्कूल

# अंतरराष्ट्रीय शासन के भीतर अधिकार

- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों में शामिल हैं:
  - - जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा
  - - गुलामी से मुक्ति
  - - कानून और निष्पक्ष सुनवाई से पहले समानता
  - - गोपनीयता का अधिकार
  - - संपत्ति का अधिकार
  - - आंदोलन की स्वतंत्रता
  - - धर्म की स्वतंत्रता
  - - विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  - - एसोसिएशन और विधानसभा की स्वतंत्रता
  - - अधिकार लोकतांत्रिक चुनाव सहित सरकार में भाग लेने के लिए
- आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में शामिल हैं:
  - - सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
  - - काम का अधिकार
  - - अवकाश का अधिकार
  - - जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त मानक का अधिकार
  - - शिक्षा का अधिकार
  - - सांस्कृतिक जीवन का अधिकार
  - **अन्य अधिकारों के तत्व संबोधित करते हैं**
    - महिलाओं के अधिकारों - सीईडीएडब्ल्यू
    - - बच्चों के अधिकारों - सीआरसी
    - - नस्लीय भेदभाव - सीईआरडी
    - - यातना - कैट

# अधिकारों के लिए सीमाएं

- अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए, कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप ही किया जाएगा, केवल दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता के कारण मान्यता और सम्मान हासिल करने के प्रयोजन के लिए, और नैतिकता की आवश्यक जरूरतों जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक समाज में सामान्य कल्याण के लिए.
- सरकारों के दायित्व हैं :
  - नागरिकों के साथ उनके स्वयं के व्यवहार में नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें.
  - तृतीय पक्षों (गैर राज्य अभिनेताओं, व्यवसायों, संगठनों, अन्य व्यक्तियों) द्वारा उल्लंघन के खिलाफ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा
- - मानव अधिकार, अनुच्छेद 29 की सार्वभौम घोषणा

# आईसीटी और इंटरनेट और उनके प्रभाव

- आईसीटीस-- कम्प्यूटरीकरण , दूरसंचार, इंटरनेट, सामाजिक नेटवर्क
- उत्पादन, वाणिज्य और उपभोग
- काम और आराम
- सूचना की उपलब्धता
- लोगों के बीच संवाद
- लोगो, सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच संवाद
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच सम्बन्ध



# चार महत्वपूर्ण सवाल

- कानून प्रवर्तन के लिए और अधिकार के कार्यान्वयन के लिए इंटरनेट का निहितार्थ क्या हैं?
- क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन के व्यवहार को एक ही नज़रिये से देखा जाना चाहिए- और कैसे?
- इंटरनेट बिचौलियों (आईएसपी, OSPs) का क्या उत्तरदायित्व हैं?
- इंटरनेट पर अधिकार के विषय में संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रीय सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए?

# इंटरनेट का उपयोग

- दुनिया के लोगों में से एक तिहाई वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं .
- क्या इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए?
- प्रसारण और दूरसंचार - क्या एक विशिष्ट प्रौद्योगिकी के लिए एक अधिकार का होना प्रायोगिक है?
- इंटरनेट " अभी तक एक मानव अधिकार" नहीं है, लेकिन सरकार के लिए इसे "व्यापक रूप से सुलभ और सभी के लिए सहजता से उपलब्ध बनाने का दायित्व है.
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, 2012

# अन्य अधिकारों पर इंटरनेट के प्रभाव

- इंटरनेट ने विशेष रूप से तीन अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाला है
- यह प्रभाव उभर कर आया इंटरनेट की तीन गतिविधियों को बढ़ाने की क्षमता से :

अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता

संघ और सभा की स्वतंत्रता

गोपनीयता की स्वतंत्रता

- अन्तरक्रियाशीलता
- जानकारी का उपयोग
- डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण

# अन्य अधिकारों पर इंटरनेट के प्रभावों

- अभिव्यक्ति, सूचना, संघ और विधानसभा का अधिकार को आम तौर पर इंटरनेट के द्वारा बढ़ाया गया है.
- गोपनीयता के अधिकार को इंटरनेट के आविर्भाव से सम्भाव्य खतरा पैदा हो गया है
- ऐसा लगता है कि इंटरनेट के आ जाने से अन्य अधिकारों और उनके क्रियान्वयन के संतुलन को प्रभावित किया है
- सरकारों, व्यापार और व्यक्तियों द्वारा - भी नए तरीके से अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है.

# अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता

1. प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के कोई राय रखना करने का अधिकार होगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा; इस अधिकार में शामिल होगा, सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त और विचारों को प्रदान करने की स्वतंत्रता, सीमाओं की परवाह किए बिना, मौखिक रूप से लिखित में या प्रिंट में या तो कला के रूप में, या अपनी पसंद के किसी भी अन्य मीडिया के माध्यम से.
3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में प्रदान अधिकारों का प्रयोग विशेष कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ किया जाता है। पर इसका क्रियान्वयन विधि द्वारा अनुमोदित होगा और निम्न शर्तों से चालित होगा:
4. क) अधिकार या दूसरों की प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए;
5. ख) राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए (सार्वजनिक Ordre), या सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता की.
6. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 19

# संघ और सभा की स्वतंत्रता

- शांतिपूर्ण विधानसभा के अधिकार को मान्यता दी जाएगी.
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की सुरक्षा के लिए ट्रेड यूनियनों में शामिल होने का अधिकार सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने हितों की सुरक्षा का अधिकार होगा.
- इन नियमों के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी (कोई भी अधिकार) उनको छोड़ कर जो विधि द्वारा पारिभाषित हैं (या तर्कसंगत हैं) और जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था के हित में एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य या नैतिकता या दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण.

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर लेख 21 और अंतर्राष्ट्रीय वाचा के 22

# गोपनीयता, सम्मान और प्रतिष्ठा के अधिकार

- किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्राचार के साथ मनमाना या गैर कानूनी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, और न ही किसी के सम्मान और प्रतिष्ठा पर अवैध हमले करने की अनुमति दी जाएगी.
- ऐसे हस्तक्षेप या हमलों के खिलाफ कानून का संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है
- नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 17

# अन्य अधिकारों पर इंटरनेट आने से आमूल चूल प्रभाव

- • जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा - ICCPR अनुच्छेद 9
- • निष्पक्ष सुनवाई - ICCPR अनुच्छेद 14
- • ग्रंथकार अधिकार - ICCPR अनुच्छेद 15
- सरकार में • भागीदारी - ICCPR अनुच्छेद 25
- • संपत्ति - यूडीएचआर अनुच्छेद 17
- • शिक्षा - यूडीएचआर अनुच्छेद 26
- सांस्कृतिक जीवन में • भागीदारी - यूडीएचआर अनुच्छेद 27



# अन्य अधिकारों पर इंटरनेट आने से आमूल चूल प्रभाव

- महिलाओं के अधिकार:
- एपीसी ने तर्क दिया है कि सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि "कानूनों, नीतियों और प्रथाओं के द्वारा इस बात की अनुमति या प्रावधान न मिले जैसे कि साइबरस्टॉकिंग, डिजिटल निगरानी, डेटा की निगरानी और अन्य हस्तक्षेप जो कि महिलाओं के अधिकार का हनन करते हों
- • बच्चों के अधिकार:
- सी आर सी इस बात को स्पष्ट करता ही कि बच्चों को भी इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ और आनंद उठाने, तथा पूर्ण सुरक्षा का उतना ही अधिकार प्राप्त है, जो कि व्यस्कों को प्राप्ति है, और साथ ही साथ शारीरिक और यौन शोषण के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध है

# सारांश

- इंटरनेट ने उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है :
- लोगों को आनंद लेने और कुछ अधिकारों का प्रयोग की स्वतंत्रता - विशेषतः अभिव्यक्ति और एसोसिएशन की स्वतंत्रता.
- उन अधिकारों का सरकारों, व्यापार और व्यक्तियों को लागू करने या उल्लंघन करने के लिए, विशेष रूप से - गोपनीयता।
- इसने अधिकार के शासन की व्याख्या के लिए नई चुनौतियों को रेखांकित किया है
- इसने अधिकारों के प्रबंधन के परिवेश को नयी चुनौतियाँ दी हैं, और ये चुनौतियाँ नवीन रूप में कळालतर में इंटरनेट आई सी टी प्रबंधन के परिपेक्ष्य में उभरती रहेंगी क्योंकि इन क्षेत्रों में निरंतर नए परिवर्तन सामने आ रहे हैं

